न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र. .....

प्रस्तुति दिनांक:18/02/2013

R 669-J/13

1. रामशंकर उम्र 68 वर्ष वल्द श्री शालिगराम गुर्जर
2. महेश उम्र 36 वर्ष वल्द श्री रामशंकर गुर्जर

दोनो निवासी ग्राम ऊड़ा तह. व जिला हरदा म.प्र. .....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. भागीरथ आयु 70 वर्ष वल्द श्री कुंजीलाल गुर्जर
2. भुजराम आयु 50 वर्ष वल्द श्री भागीरथ गुर्जर
3. सुरेश आयु 35 वर्ष वल्द श्री भागीरथ गुर्जर
4. सुनील आयु 33 वर्ष वल्द श्री भागीरथ गुर्जर
5. दिनेश आयु 23 वर्ष वल्द श्री भुजराम गुर्जर

सभी निवासी ग्राम ऊड़ा तह.व जिला हरदा .....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न लिखित निवेदन है कि:-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण माननीय निम्न न्यायालय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के द्वितीय अपील क्र.112/अपील/2011-12 पक्षकार भागीरथ व अन्य विरूद्ध रामशंकर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.1.2013 से क्षुब्द एवं दुःखित होकर निम्न आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य

यह कि उत्तरवादीगण ने तहसीलदार महोदय हरदा के समक्ष रा.प्र.क्र. 69अ-27/2010-11 भागीरथ व अन्य के नाम से पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर दिनांक 30.8.2011 को प्रस्तुत किया जिसमें कथन किये गये कि उत्तरवादीगण एवं पुनरीक्षणकर्तागण संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है शामिल शरीक पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 50,28/2 रकबा 8.078 हे0 एवं ख.नं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-669-एक/2013 जिला हरदा रामशंकर विरूद्ध भागीरथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 08-01-2019 को आवेदक रामशंकर के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें सुना गया । अनावेदक क्रमांक 5 रितेश पुत्र भुजराम के विरूद्ध पूर्व से एक पक्षीय कार्यवाही की गई है । 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 112/अपील/2011-12 (भागीरथ व अन्य विरूद्ध रामशंकर व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17-01-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील आदेश में आयुक्त के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा का आदेश दिनांक 29-03-2012 निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-11-2011 विधि के प्रावधानों के अनुकूल बताते हुए यथावत रखा जाकर अपील स्वीकार की गई है । 4. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार हरदा के समक्ष आवदेक एवं अनावेदकगण के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 सहपठित धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम ऊड़ा की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि खसरा नंबर 25/4, 29/3, 30, 31, 32, 33/2, 36/2, 36/3 जुमला रकबा 4.8434 हे. भूमि जो कि रितेश पुत्र भुजराम के नाम दर्ज है तथा आवेदक रामशंकर पिता शालिगराम के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 28/2, 50 जुमला रकबा 8.078 हे. भूमि पर आपसी पारिवारिक व्यवस्थापन अनुसार बटवारे के अनुसार बटवारा दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर पटवारी से फर्द बटान प्राप्त कर प्रकरण में आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण को वृहत लोक अदालत में रखकर आवेदकगणों की सहमति के आधार पर आदेश दिनांक 19-11-2011 नामांतरण एवं बटवारा	

आदेश पारित किया गया । पुनरीक्षणकर्ता रामशंकर व महेश के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हरदा के समक्ष प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बिना कोई पारिवारिक बटवारा के आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी हरदा ने उनके प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2011-12 ग्राम ऊडा में पारित आदेश दिनांक 29-03-2012 के द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-11-2011 अपास्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 29-03-2012 के विरूद्ध भागीरथ व अन्य (इस प्रकरण में उत्तरवादीगण) ने आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की सहमति के आधार पर आपसी पारिवारिक बटवारे के आधार पर फर्द बटान उपलब्ध करने के उपरांत ही तहसीलदार ने दिनांक 19-11-2011 को आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्त किया है, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार के आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया । आयुक्त के द्वारा अपने आदेश दिनांक 17-01-2013 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-03-2012 निरस्त कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-11-2011 विधि के प्रावधानों के अनुकूल बताते हुए यथावत रखा गया है ।

5. मेरे द्वारा उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय की नस्ती एवं तहसीलदार के यहां प्रचलित प्रकरण 69ए/21/2010-11 ग्राम ऊडा की आदेश पंजिकाओं एवं आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न किश्तबंदी खतौनी व उभय पक्ष के द्वारा दिये गये बयानों की भी प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। साथ ही अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की नस्ती का भी अवलोकन किया गया ।

6. प्रकरण में संलग्न तहसीलदार न्यायालय की एक अन्य नस्ती प्रकरण क्रमांक 20/अ-27/2010-11 ग्राम ऊडा की नस्ती का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार भागीरथ पुत्र कुंजीलाल व अन्य (इस प्रकरण में उत्तरवादीगण) के द्वारा ग्राम ऊडा के सर्वे नंबर 25/4, 28/3, 29, 30, 31, 32, 33/2, 36/2, 36/3 जुमला रकबा

4.8434 हे. के पारिवारिक व्यवस्थापन के अंतर्गत रितेश पुत्र भुजराम के पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया है । तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 28-03-2011 से उक्त भूमि पर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत भागीरथ का नाम निरस्त कर पारिवारिक व्यवस्थापन के आधार पर संहिता की धारा 178 के तहत फर्द बटान स्वीकार किया है ।

7. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा का आदेश दिनांक 29-03-2012 का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश के पृष्ठ 3 पर निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया है।

" प्रकरण में सलंग्न किस्तबंदी की नकल अनुसार ग्राम उडा स्थित भूमि ख.न. २५/४, २८/३, २९,३०,३१,३२,३३/२, ३६/२ एवं ३६/६ योग रकवा ४.८३४ हैक्टेयर रितेश आ. भुजराम तथा ख.नं. २८/२ एवं ५० योग रकवा८.०७८ हैक्टेयर रामशंकर पिता शालिगराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया गया है। आवेदकगण द्वारा रितेश के नाम दर्ज भूमि ख.नं. २८/३ का उल्लेख नही किया गया है। इस खसरा नंबर के स्थान पर खसरा नंबर २९/३ का उल्लेख किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने प्रकरण एवं आदेश में खसरा नंबर २९/३ का उल्लेख किया है। ख.नं. २९/३ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक के पूर्व किसी भी आवेदकगणके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही रहा है। प्रकरण में मूल पारिवारिक व्यवस्था पत्र प्रस्तुत नही किया गया है और न ही पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान पर अपीलार्थीगण की सहमति ली गई है। पारिवारिक व्यवस्था पत्र साक्ष्यों के कथनों से प्रमाणित नही किया गया है।

अपीलार्थी रामशंकर द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा किसी भी पारिवारिक व्यवस्था पत्र, दस्तावेज तथा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नही किये है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया है। फर्जी हस्ताक्षर से पारिवारिक व्यवस्था पत्र तैयारकर उसके आधार पर विधि नियमों का पालन न करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक १९.११.२०११ पारित किया है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन पर पाया गया है कि अपीलार्थी रामशंकरके नाम व्यक्तिगत रूप से दर्ज भूमि पर अपीलार्थी की बिना सहमति के पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। आदेश में तथा प्रकरण में खसरा नंबर २८/०३ के स्थानपर २९/३ का उल्लेख किया है जो सही नही पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के दिनांक ३०-०८-२०११ की आदेशिका में आपसी पारिवारिक व्यवस्थानुसार विभाजन तथा पृथक-पृथक नाम दर्ज करने का उल्लेख किया गया है

3/4

01/2/19

जबकि प्रकरण दर्ज करते समय प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ कोई पारिवारिकि व्यवस्था पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि, प्रकरण दर्ज करने की दिनांक ३०-०८-२०११ को तथाकथित पारिवारिक व्यवस्था पत्र अस्तित्व में ही नहीं था। प्रकरण में प्रस्तुत उक्त अपंजीकृत पारिवारिक व्यवस्था पत्र दिनांक २४.०९.२०११ को तैयार किया गया है जिसकी छायाप्रति(नोटरी से सत्यापित) प्रकरण में संलग्न होना पाई गई है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि नियमों का पालन न करते हुये आदेश दिनांक १९.११.२०११ पारित किया गया है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक १९.११.२०११ अपास्त किया जाता है। राजस्व अभिलेख पूर्वानुसार दुरूस्त किये जाने के निर्देश दिये जाते है।"

8. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आवेदक के द्वारा जिस खसरा नंबर 29/3 को बटवारे हेतु प्रस्तुत किया है वह खसरा नंबर उनके स्वामित्व का ही नहीं है, जिस कारण से अन्य बातों के होते हुए भी तहसीलदार व आयुक्त का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है । अत: निगरानी आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । आयुक्त का आदेश दिनांक 17-01-2013 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-11-2011 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह खसरा क्रमांक 28/3, 29/3 के स्वत्व का परीक्षण व उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत ही प्रकरण का गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करें ।

4/4

9. उभय पक्ष अधीनस्थ तहसील न्यायालय में दिनांक 12-03-2019 को प्रकरण की आगामी कार्यवाही हेतु उपस्थित हो ।

01/2/19

(आर.के. जैन)
सदस्य